अध्याय 5

कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

अध्याय 5

कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

विभाग ने नियमों की अधिसूचना के साथ-साथ पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अनाथ पेंशन, नि: शक्तता पेंशन, मातृत्व लाभ, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सहायता और विवाह सहायता के भुगतान से संबंधित आठ कल्याणकारी योजनाओं को अधिसूचित किया (अगस्त 2007)। इसके बाद, बोर्ड ने अन्य और चौदह कल्याणकारी योजनाओं[31] को अधिसूचित किया (मार्च 2011 और दिसंबर 2021 के बीच)। लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान इन 22 कल्याणकारी योजनाओं में से 10 योजनाओं का चयन उनके कार्यान्वयन के विश्लेषण के लिए किया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में 400 लाभार्थियों[32] का एक सर्वेक्षण भी किया गया, ताकि उन्हें प्रदान किए गए लाभों के प्रभाव का पता लगाया जा सके।

5.1 कर्मकारों की मृत्यु या नि:शक्तता पर सहायता

पंजीकृत कर्मकार की स्वाभाविक मृत्यु होने पर उनके आश्रित, झारखण्ड भवन सन्निर्माण कर्मकार मृत्यु पर/नि:शक्तता सहायता (जेबीडब्ल्यूडीडीए) योजना के तहत नवम्बर 2015 से जून 2017 तक 30 हजार रुपये की एकमुश्त राशि का लाभ प्राप्त करने का हकदार थे। जुलाई 2017 से इस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गयी।

इसके अलावा, लाभार्थी का पति/पत्नी ₹ पांच सौ प्रति माह (जुलाई 2017 से संशोधित) की पारिवारिक पेंशन का पात्र था और आश्रित/नामांकित व्यक्ति अंत्येष्टि सहायता (मार्च 2018 में अधिसूचित) के रूप में ₹ दस हजार की एकमुश्त राशि प्राप्त करने का हकदार था।

लाभार्थियों के आश्रितों को तीन प्रकार की सहायता अर्थात् मृत्यु पर सहायता (डीए), अंत्येष्टि सहायता (एफए) और परिवारिक पेंशन (एफपी) प्राप्त करने के लिए तीन अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होता है। मृत्यु पर और अंत्येष्टि सहायता जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक द्वारा स्वीकृत की जाती है, जबकि पारिवारिक पेंशन आयुक्त स्तर पर उप श्रम आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जाती है।

---

[31] (1) साइकिल सहायता (2) श्रम टूलकिट सहायता (3) सिलाई मशीन सहायता (4) मेधावी बच्चों की छात्रवृत्ति (5) चिकित्सा प्रतिपूर्ति (6) आम आदमी बीमा योजना (7) रोजगार प्रशिक्षण योजना (8) बाल श्रमिक शिक्षा सहायता (9) लड़कियों की शिक्षा के लिए सरस्वती योजना, (10) मृत्यु पर सहायता (11) श्रम सुरक्षा किट सहायता (12) प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना (13) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (14) साड़ी/शर्ट-पैंट के लिए कपड़ों का वितरण

[32] प्रत्येक चयनित योजना के दस लाभार्थी, नमुना-जाँचित चार जिलों में से प्रत्येक से।

5.1.1 एमडब्ल्यूएस व एपी के अनुसार सहायता राशि का गैर-संरेखण

एमडब्ल्यूएस व एपी में निर्धारित है कि राज्य कल्याण बोर्ड को मृत लाभार्थी के आश्रितों को दुर्घटना में मृत्यु के मामले में चार लाख रुपये और स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपये की न्यूनतम आच्छादन प्रदान करनी चाहिए। एमडब्ल्यूएस व एपी ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना[33] (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना[34] (पीएमएसबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के कर्मकारों के आच्छादन की भी अनुशंसा की थी, जिसमें 50 प्रतिशत प्रीमियम केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है|

नमूना-जाँचित जिलों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मृत्यु पर सहायता के स्वीकृत मामलों का विवरण **तालिका 5.1** में विस्तृत है।

तालिका 5.1: वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मृत्यु पर सहायता के स्वीकृत मामले

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	रांची	बोकारो	धनबाद	जमशेदपुर	कुल
1	2017-18	11	शून्य	58	शून्य	69
2	2018-19	35	शून्य	87	10	132
3	2019-20	10	शून्य	29	18	57
4	2020-21	57	69	63	46	235
5	2021-22	83	115	147	56	401
कुल		**196**	**184**	**384**	**130**	**894**

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ₹ 5,202 की एकमुश्त राशि[35] अंतरित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2016) था, ताकि वे अपने नियमित वार्षिक प्रीमियम[36] का भुगतान कर सकें और इस उद्देश्य के लिए ₹ 15.65 करोड़[37] स्वीकृत (अप्रैल 2017) किए गए थे। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान विभिन्न प्राधिकरणों को प्रीमियम के नवीनीकरण के भुगतान के लिए, या लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रीमियम राशि के सीधे अंतरण के लिए ₹ 29.23 करोड़[38] और दिए। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 से

[33] ₹ 330 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर, किसी भी कारण से मृत्यु पर ₹ दो लाख के आच्छादन के साथ।

[34] ₹ 12 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर, आकस्मिक मृत्यु पर ₹ दो लाख के आच्छादन के साथ।

[35] पीएमएसबीवाई के लिए ₹ 201 और पीएमजेजेबीवाई के लिए ₹ 5,001 की एकमुश्त राशि।

[36] आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) का पीएमजेजेबीवाई के साथ, अभिसरण के बाद (जून 2017)/ 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्यों को पीएमजेजेबीवाई के तहत आच्छादन किया जाना था, जबकि 51 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्यों को एएबीवाई में बने रहना था। इसके अलावा, 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्यों को पीएमएसबीवाई के तहत भी आच्छादन किया जाना था।

[37] पीएमजेजेबीवाई के लिए 29,994 लाभार्थियों हेतु ₹ 15 करोड़ और पीएमएसबीवाई के लिए 32,000 लाभार्थियों हेतु ₹ 65 लाख।

[38] जिसमें 31 मार्च 2017 तक ₹ 9.05 करोड़ का अव्ययित शेष शामिल है।

2021-22 के दौरान लाभार्थियों की ओर से बोर्ड द्वारा बीमा कंपनी[39] को कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया । बोर्ड के पास उन लाभार्थियों का विवरण भी नहीं था, जिनके बैंक खातों में प्रीमियम राशि सीधे अंतरित की गई थी।

इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बोर्ड को सूचित (मई 2020) किया कि वह ऐसी किसी भी बीमा का नवीनीकरण नहीं करेगा, जिसके संबंध में आधार से जुड़े आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं और अभिसारित पीएमजेजेबीवाई एवं आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)[40] के अंतर्गत जून 2019 तक के प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। एलआईसी ने आगे सूचित किया कि वह जुलाई 2019 से अभिसरीत पीएमजेजेबीवाई और एएबीवाई के तहत कोई नई पालिसी शुरू नहीं करेगी। एलआईसी ने बोर्ड से बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया, जिसमें बीमा प्रीमियम की अप्रयुक्त राशि ₹ 4.24 करोड़ वापस की जा सके। चूंकि बोर्ड द्वारा एलआईसी को बैंक खाते का विवरण प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए बोर्ड को राशि वापस नहीं की गई (मार्च 2023 तक)। इस प्रकार, मार्च 2022 तक किसी भी लाभार्थी को किसी भी बीमा योजना के तहत आच्छादन नहीं किया गया।

नमुना-जाँचित चार जिलों में से दो[41] में, यह पाया गया कि श्रम अधीक्षकों ने विभिन्न बीमा योजनाओं के तहत 78,123 लाभार्थियों[42] के आच्छादन के लिए एलआईसी को ₹ 120.86 लाख[43] के प्रीमियम का भुगतान (अप्रैल 2017 और अगस्त 2018 के बीच) किया था, लेकिन इन लाभार्थियों के आवश्यक आंकड़े[44] प्रस्तुत नहीं किये गए थे। आवश्यक आंकड़ों के अभाव में लाभाथियों का बीमा नहीं हो सका। इसके अलावा, दोनों जिलों ने प्रीमियम राशि को किसी भी लाभार्थी के बैंक खातों में अंतरित भी नहीं किया, ताकि वे स्वयं प्रीमियम का भुगतान कर सकें। जिसके कारण लाभार्थी बीमा आच्छादन से वंचित रह गए थे।

इस प्रकार, लाभार्थियों के बीमा आच्छादन के बिना, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से जेबीडब्ल्यूडीडीए योजना के तहत लाभार्थियों के आश्रितों को केवल एक लाख रुपये, मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया, हालांकि वे स्वाभाविक मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये या आकस्मिक मृत्यु के मामले में चार लाख रुपये एलआईसी से प्राप्त करने के पात्र थे, जैसा कि योजना में निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा बनाई गई

---

[39] भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एएबीवाई और पीएमजेजेबीवाई को अपने दम पर चला रहा था। पीएमएसबीवाई के लिए, एलआईसी ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (एनआईएसी) के साथ टाई-अप किया था।

[40] अभिसरण योजना के तहत, वित्त मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने एएबीवाई (18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लिए) के लाभार्थियों को पीएमजेजेबीवाई के साथ विलय करने का निर्णय लिया। तथापि, 51 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों को एएबीवाई के मौजूदा फार्मेट में बने रहने की अनुमति दी गई थी।

[41] बोकारो और धनबाद

[42] धनबाद: 52,306 और बोकारो: 25,817

[43] धनबाद: ₹ 78,59,450 और बोकारो: ₹ 42,26,320

[44] लाभार्थी विवरण के साथ आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर

जेबीडब्ल्यूडीडीए स्कीम के अंतर्गत स्वाभविक/दुर्घटना मृत्यु के लिए सहायता की राशि को भी संरेखित नहीं किया गया है जैसाकि एमडब्ल्यूएस व एपी के अंतर्गत अनुशंसा की गई है।

5.1.2 लाभार्थियों के मृत्योपरांत आश्रितों को लाभ की गैर-अदायगी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पति/पत्नी अन्य दो योजनाओं के लिए भी मृत्योपरांत लाभ के लिए पात्र होते हैं, जबकि पति या पत्नी के अलावा अन्य आश्रित, अन्य दो योजनाओं में से केवल एक के लिए पात्र हैं।

नमुना-जाँचित चार जिलों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान आश्रितों को प्रदान की गई मृत्यु पर सहायता (डीए) और अंत्येष्टि सहायता (एफए) का विवरण **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: लाभार्थियों की संख्या जिन्हें डीए और एफए को स्वीकृत और भुगतान किया गया

जिला	सहायता	स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या					कुल		
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	भुगतान किया	न्यूनतम पात्र[45]	भुगतान नहीं किया गया
रांची	मृत्यु पर सहायता	11	35	10	57	83	196	222	26
	अंत्येष्टि सहायता	22	28	25	52	83	210		12
धनबाद	मृत्यु पर सहायता	58	87	29	63	147	384	437	53
	अंत्येष्टि सहायता	64	108	40	78	69	359		78
बोकारो	मृत्यु पर सहायता	0	0	0	69	115	184	245	61
	अंत्येष्टि सहायता	24	28	8	70	97	227		18
पूर्वी सिंहभूम	मृत्यु पर सहायता	0	10	18	46	56	130	192	62
	अंत्येष्टि सहायता	21	33	36	39	54	183		9
उप योग	**मृत्यु पर सहायता**						**894**	**1,096**	**202**
	अंत्येष्टि सहायता						**979**		**117**

(स्रोत: संबंधित संस्वीकृतिदाता अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 5.2 से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान क्रमशः 894 और 979 लाभार्थियों के आश्रितों को मृत्यु पर सहायता और अंत्येष्टि सहायता का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, न्यूनतम 1,096 पात्र लाभार्थियों में से शेष 319 लाभार्थियों के आश्रित मृत्यु पर सहायता (202) और अंत्येष्टि सहायता (117) से वंचित रह गए थे।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित जिलों में मृत्यु पर सहायता का भुगतान पाने वाले 894 लाभार्थियों के संबंधित आवेदन में से 778 आवेदनों का विश्लेषण किया और पाया कि 672 मृत लाभार्थियों के पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र थे। हालांकि, पात्र लाभार्थियों में से केवल 217 पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन मंजूर की गई थी। इस

[45] 2017-22 अवधि के दौरान एक वित्त वर्ष में किसी भी दो योजनाओं के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या (2017-18: 131; 2018-19: 204; 2019-20: 109; 2020-21: 251; और 2021-22: 401) की, जिन्हें सहायता राशि का भुगतान किया गया

प्रकार, शेष 455 पति/पत्नी पेंशन के लिए पात्र होने के बाबजूद भी लाभ से वंचित रह गए थे।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, आठ[46] मृत कर्मकारों के पति/पत्नी ने संयुक्त सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा के साथ आए बोर्ड के अधिकारियों से अपनी पारिवारिक पेंशन शुरू करने का अनुरोध किया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि लाभार्थियों के आश्रितों से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनों का जिला कार्यालयों में डायरी नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी कि सभी तीन लाभों के लिए आवेदन एक साथ प्राप्त किए गए थे और एक समकालीन तरीके से संसाधित किए गए थे, ताकि पंजीकृत कर्मकारों की मृत्यु पर आश्रित व्यक्ति सभी स्वीकार्य लाभों को प्राप्त कर सकें।

इस प्रकार, प्रस्तुत आवेदनों की प्राप्ति के उचित दस्तावेजीकरण के लिए प्रणाली के अभाव के कारण पात्र लाभार्थी सभी तीन लाभों के अनुदान से वंचित हो गए। इसके अलावा, बोर्ड ने मृत कर्मकारों के आश्रितों को मृत्योपरांत मिलने वाले सभी लाभों का प्रावधान भी सुनिश्चित नहीं किया था।

5.1.3 सहायता भुगतान में विलम्ब

एमडब्ल्यूएस व एपी (अक्टूबर 2018 में निर्गत) के अनुसार, मृत्योपरांत मिलने वाली सहायता कर्मकार के निधन के 60 दिनों के भीतर प्रदान की जानी है।

नमूना-जाँचित चार जिलों में मृत्यु पर सहायता के 778 आवेदनों की नमूना-जाँच से वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान लाभ के प्रावधानों में विलंब का पता चला, जैसा कि **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3: सहायता के भुगतान में विलंब

क्र.सं.	जिला	कुल आवेदन	विलंब के कुल मामले (प्रतिशत)	विलंब की अवधि (विलंब से दर्ज कुल मामलों का प्रतिशत)				
				तीन वर्ष से अधिक	दो से तीन साल	एक से दो साल	छह महीने से एक वर्ष तक	61 दिन से छह महीने
1	धनबाद	384	381 (99%)	18	94	135	98	36
2	बोकारो	184	170 (92%)	11	31	41	51	36
3	रांची	80	78 (98%)	2	16	41	14	5
4	पूर्वी सिंहभूम	130	130 (100%)	0	6	20	75	29
कुल		**778**	**759 (97%)**	**31 (4)**	**147 (20)**	**237 (31)**	**238 (31)**	**106 (14)**

(स्रोत: संबंधित श्रम अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 5.3 दर्शाती है कि 97 प्रतिशत मामलों में विलंब हुआ था, जिनमें 55 प्रतिशत मामले ऐसे थे, जिनमें एक वर्ष से अधिक का विलंब हुआ था।

[46] पxxxx देxx, फxx बीxxx, वxकxxx कुxर, सxबxxह मxx, और अxटx कxमxx, सिल्ली प्रखंड, रांची से; और बलियापुर प्रखंड, धनबाद से कxxज फxxx, मxxxxह प्रxxx बxxxवxx तथा मो. मxकxअx xलx

इस प्रकार, जैसा कि एमडब्ल्यूएस व एपी में अपेक्षित था बोर्ड ने मृत कर्मकारों के आश्रितों को 60 दिनों के भीतर सहायता का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया था।

5.1.4 अपात्र लाभार्थियों को भुगतान

मृत्यु के बाद के लाभों के लिए लाभार्थियों की पात्रता को सत्यापित करने के लिए 320 आवेदनों (प्रत्येक नमुना-जाँचित जिले से 80) की लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित का पता चला:

(अ) गैर-आश्रितों को मृत्यु पर सहायता का भुगतान

मृत पंजीकृत कर्मकारों के आश्रितों को मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 2 (डी) के अनुसार, 'आश्रित'[47] में भतीजा/भतीजी/बहू, भाई और बहन (18 वर्ष से अधिक आयु) शामिल नहीं हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 मामलों में ₹ 10.30 लाख **(परिशिष्ट 5.1)** की मृत्यु पर सहायता का भुगतान भाइयों/बहनों (18 वर्ष से अधिक आयु) के साथ-साथ मृत कर्मकारों के भतीजों और भतीजियों को किया गया था। इसके अलावा, शपथपत्रों के आधार पर तीसरे पक्ष को बिना कोई आधिकारिक दस्तावेज, जैसे वंश प्रमाण पत्र या कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के पांच लाख रुपये की मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया गया था।

(ब) अपात्र लाभार्थियों को मृत्यु पर सहायता का भुगतान

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के साथ पठित धारा 16 (1) के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत कर्मकार को निर्दिष्ट दर पर कोष में वार्षिक अंशदान करना आवश्यक है। इसके अलावा, धारा 17 में यह निर्धारित है कि एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए अंशदान का भुगतान न करने पर लाभार्थी के रूप में पात्रता समाप्त हो जाएगी, जब तक कि इस बात से संतुष्ट होते हुए कि अंशदान का निलंबन उचित आधार के कारण था और कर्मकार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है, बोर्ड के सचिव द्वारा पुन: बहाल किया जाता है,

---

[47] i) एक विधवा, एक नाबालिग वैध या दत्तक पुत्र, एक अविवाहित वैध या दत्तक पुत्री या एक विधवा मां (ii) यदि पूरी तरह से उसकी मृत्यु के समय कर्मकार की कमाई पर निर्भर है, एक बेटा या एक बेटी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है और जो कमजोर है (iii) यदि पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसकी मृत्यु के समय कर्मकार की कमाई पर निर्भर है- (क) एक विधुर (ख) एक विधवा माँ के अलावा अन्य माता-पिता (ग) एक नाबालिग नाजायज बेटा, एक अविवाहित नाजायज बेटी या एक बेटी वैध या नाजायज या गोद ली हुई अगर विवाहित और नाबालिग या विधवा और नाबालिग (घ) एक नाबालिग भाई या एक अविवाहित बहन या एक विधवा बहन, अगर एक नाबालिग (ङ) एक विधवा बहू (च) एक पूर्व-मृत बेटे का नाबालिग बच्चा (छ) एक पूर्व-मृत बेटी का नाबालिग बच्चा जहां बच्चे के माता-पिता जीवित नहीं हैं या (ज) एक पैतृक दादा-दादी यदि काम करने वाले के माता-पिता जीवित नहीं हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

➢ 17 कर्मकारों के आश्रितों **(परिशिष्ट 5.2)**, जिन्होंने एक वर्ष की निरंतर अवधि तक अंशदान नहीं दिया था, को ₹ 17 लाख की मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया गया था।

➢ 16 आवेदन **(परिशिष्ट 5.2)** पंजीकरण शुल्क की भुगतान रसीदों द्वारा समर्थित नहीं पाए गए, जैसा कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत आवश्यक है। तथापि, इन लाभार्थियों को 16 लाख रुपए की मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया गया था।

➢ एक कर्मकार के आश्रितों[48] को 18 वर्ष से कम आयु में पंजीकृत कर दिया गया था और दूसरे कर्मकार[49], जिसकी 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो गई थी, को दो लाख का भुगतान किया गया था।

➢ दो आश्रितों की बैंक पासबुक[50], जिन्हें ₹ दो लाख की मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया गया था, से पता चला कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/सरकारी कर्मचारी थे **(परिशिष्ट 5.2)।** इसके अलावा, लाभ प्राप्ति के लिए आवेदनों से पता चला कि आवेदक पंजीकृत कर्मकारों के विधुर थे। एक विधुर को कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 2 (डी) के तहत आश्रित तभी माना जाता है, जब वह पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्मकार की कमाई पर निर्भर हो। इन आवेदकों को पंजीकृत कर्मकारों पर उनकी वित्तीय निर्भरता सुनिश्चित किए बिना इस तथ्य के बावजूद कि वे सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी थे, आश्रितों के रूप में लाभ की अनुमति दी गई थी।

इस प्रकार, 37 लाभार्थियों के अपात्र आश्रितों को ₹ 37 लाख की मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया गया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए**,** विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि: (i) एम. डब्लु. एस एवं एपी के तहत निहित मृत्यु के बाद के लाभों की राशियों के युक्तिकरण और योजनाओं के एकीकरण का प्रस्ताव बोर्ड और एस.ए.सी. के समक्ष रखा जाएगा (ii) सचिव, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड ने भी मंजूरी देने वाले अधिकारियों को सभी मृत्यु के बाद के लाभों के समय पर निष्पादन और आवेदकों की पात्रता के सत्यापन के बाद ही इसका भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश निर्गत किए हैं (iii) इसके अतिरिक्त, उन आवेदनों की जाँच करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिनमें लेखापरीक्षा द्वारा अयोग्यता का उल्लेख किया गया है।

अनुशंसा 9: बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि एमडब्ल्यूएस व एपी के तहत, दुर्घटना/स्वाभाविक मृत्यु पर पंजीकृत कर्मकारों को अनुशंसित न्यूनतम आच्छादन प्रदान

---

[48] धनबाद: निबंधन संख्या - 3x24/12

[49] धनबाद: निबंधन संख्या - सीओडब्लू1xएम001x27x546

[50] धनबाद: निबंधन संख्या - बीएलपी-2x56/14 और एनआईएस-4xx5/16

किया गया है। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करे कि मृत्यु के बाद के लाभों का भुगतान, जो कि एमडब्ल्यूएस व एपी के तहत अनुशंसित राशि से कम नहीं हो और समय सीमा के भीतर, पंजीकृत कर्मकारों के आश्रितों को प्रदान किया जाय।

5.2 पेंशन का आच्छादन

झारखण्ड नियमावली के नियम 282 के साथ पठित बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 22 (1) (बी) में यह परिकल्पना की गई है कि पेंशन का भुगतान उन लाभार्थियों को किया जाएगा, जो साठ वर्ष की आयु पूरी होने के अनुवर्ती महीने तक कम से कम तीन वर्ष के लिए निर्माण कर्मकारों के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, झारखण्ड नियमावली के नियम 284, 289 और 290 में लाभार्थियों को विकलांगता पेंशन, पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन और आश्रितों को अनाथ पेंशन का प्रावधान है।

नमूना-जाँचित चार जिलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित का पता चला:

5.2.1 सामान्य पेंशन के तहत पेंशनभोगियों का कम आच्छादन

वर्ष 2018 से 2022 के 31 मार्च को 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पंजीकृत कर्मकारों की संख्या और स्वीकृत सामान्य[51] पेंशन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4: सामान्य पेंशन के तहत पेंशन योग्य कर्मकारों का आच्छादन

	रांची		धनबाद		बोकारो		पूर्वी सिंहभूम		कुल		
वित्तीय वर्ष	60 वर्ष पूरे करने वाले कर्मकारों की संख्या	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	60 वर्ष पूरे करने वाले कर्मकारों की संख्या	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	60 वर्ष पूरे करने वाले कर्मकारों की संख्या	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	60 वर्ष पूरे करने वाले कर्मकारों की संख्या	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	60 वर्ष पूरे करने वाले कर्मकारों की संख्या	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	स्वीकृत पेंशन का प्रतिशत
2017-18	797	13	683	4	717	2	1133	9	3,330	28	1
2018-19	278	10	230	14	322	2	315	4	1,145	30	3
2019-20	383	2	538	3	392	1	698	6	2,011	12	1
2020-21	507	5	466	5	446	9	726	21	2,145	40	2
2021-22	481	3	458	26	529	6	611	14	2,079	49	2
कुल	**2,446**	**33**	**2,375**	**52**	**2,406**	**20**	**3,483**	**54**	**10,710**	**159**	**1**

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 5.4 से, यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, 60 वर्ष की आयु होने पर केवल एक से तीन प्रतिशत पंजीकृत कर्मकारों को पेंशन स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार, पेंशन योजना का कार्यान्वयन अप्रभावी रहा था। इसके

[51] नियमित/सामान्य पेंशन (पारिवारिक पेंशन/नि:शक्तता पेंशन/अनाथ पेंशन के अलावा)

अलावा, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान पेंशनभोगियों के नगण्य आच्छादन के पीछे के कारणों की कोई समीक्षा नहीं की थी।

अनुशंसा 10: बोर्ड पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकता है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों के लिये पेंशन आच्छादन का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

5.2.2 पेंशन का गैर-भुगतान

नमूना-जाँचित चार जिलों में स्वीकृत पेंशन के 440 मामले[52] थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि, यद्यपि पहला भुगतान आम तौर पर मंजूरी के तुरंत बाद किए गए थे, अनुवर्ती भुगतान नियमित रूप से नहीं किए जा रहे थे। यह भी देखा गया कि यद्यपि पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण-पत्रों को पेंशन जारी रखने के लिए संबंधित श्रम अधीक्षकों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष नवंबर में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, तथापि 440 पेंशनभोगियों में से केवल 54 (12.27 प्रतिशत) ने ही उन्हें प्रस्तुत किया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 440 मामलों में से 384 (87 प्रतिशत) में पेंशन का भुगतान, 31 मार्च 2022 तक एक महीने से लेकर तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया रहा था, जैसा कि **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: 31 मार्च 2022 तक पेंशन की गैर-भुगतान

जिला का नाम	देय भुगतान					
	तीन वर्ष से अधिक	दो से तीन साल	एक से दो साल	छह महीने से एक वर्ष तक	तीन से छह महीने	एक से तीन महीने
रांची	16	15	54	28	0	13
बोकारो	0	0	4	0	16	0
धनबाद	7	5	8	0	130	0
पूर्वी सिंहभूम	0	0	0	42	46	0
कुल	**23**	**20**	**66**	**70**	**192**	**13**

(स्रोत: संबंधित जिला श्रम आयुक्तों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 5.5 से देखा जा सकता है कि 109 मामलों (440 का 25 प्रतिशत) में पेंशनभोगियों को भुगतान एक वर्ष से अधिक समय तक बकाया रहा। इसमें 23 ऐसे मामले शामिल हैं, जहां भुगतान तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया था।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के 40 में से 11 पेंशनभोगियों[53] ने जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याओं, निर्गतकर्ता प्राधिकारियों के बारे में जानकारी की कमी या दूर अवस्थित जिला कार्यालयों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों के बारे में शिकायत की।

---

[52] सामान्य पेंशन: 159, पारिवारिक पेंशन: 276, नि:शक्तता और अनाथ पेंशन: 5.

[53] (1) कxकxलx दxवx (2) सxदxईx मxहxतx (3) नxनx लXल माxxओ (4) सxरxलx दxxई (5) रxकxअ दxxई (6) सxनxओतx दxवx (7) सxईxइसxxवxर मxहxतx (8) पxशxअ दxवx (9) रxकxअनx दxवx (10) मxहxनx दxxई और (11) लxदxअणxथ मxहxओ।

इसके अलावा, कोविड महामारी[54] के दौरान, भारत सरकार ने बोर्डों को निर्देश[55] (जुलाई 2020) दिया था कि वे कर्मकारों की भौतिक उपस्थिति पर जोर न दें, प्रक्रियाओं को आसान बनाएं और महामारी से निपटने के लिए कर्मकारों को प्रोत्साहित करें। हालांकि, बोर्ड ने महामारी की अवधि के दौरान भी पेंशन का नियमित भुगतान सुनिश्चित नहीं किया था।

5.2.3 नि:शक्तता और अनाथ पेंशन

नि:शक्तता पेंशन उन लाभार्थियों को प्रदान की जानी है जो लकवा, कुष्ठ रोग, क्षयरोग, दुर्घटनाओं आदि के कारण स्थायी रूप से विकलांग हैं। यह शुरू में ₹ 500 प्रति माह (मार्च 2011 से) की दर से देय था, लेकिन बाद में संशोधित (अप्रैल 2018) कर ₹ 1,000 प्रति माह कर दिया गया था । स्थायी आंशिक नि:शक्तता के मामले में, संबंधित लाभार्थी मासिक पेंशन के लिए पात्र थे, जिसकी गणना नि:शक्तता के प्रतिशत के आधार पर कुल पेंशन के अनुपात में अर्जन क्षमता की हानि पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी निःशक्तता की प्रतिशतता के आधार पर ₹ 10,000 की अनुग्रह राशि के भुगतान का भी पात्र था। इसी प्रकार, लाभार्थी अथवा पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में, उसके अठारह वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे, अनाथ पेंशन के रूप में, प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन की राशि के बराबर भुगतान के लिए पात्र थे, जिसे सभी बच्चों में समान रूप से वितरित किया जाएगा। पारिवारिक पेंशन की दर जुलाई 2017 से ₹ 500 प्रति माह, अनाथ पेंशन भी ₹ 500 प्रति माह की दर से देय थी।

नमूना-जाँचित चार जिलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि:

- नि:शक्तता पेंशन के चार मामले[56] और अनाथ पेंशन का एक मामला[57] था , लेकिन किसी भी मामले में पेंशन का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया था। मार्च 2022 तक, प्रत्येक मामले में पेंशन की मंजूरी के बाद से स्वीकार्य 244 महीनों के विरुद्ध केवल 132 महीनों के लिए इसका भुगतान किया गया था। इसके अलावा, एक मामले[58] में, नि:शक्तता पेंशन की गणना 75 प्रतिशत की विकलांगता के बजाय 100 प्रतिशत की विकलांगता पर विचार करते हुए की गई थी, हालांकि लाभ के लिए आवेदन में इसका उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, दो मामलों[59] में, विकलांगता पेंशन का भुगतान 8 महीने (अप्रैल 2017 से नवंबर 2017) के लिए संशोधित दरों

---

[54] मार्च 2020 से जनवरी 2021 और मार्च 2021 से जुलाई 2021

[55] श्रम और रोजगार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव को निर्गत बीओसीडब्ल्यू सलाहकार मार्गदर्शिका (डीओ संख्या जेड-20012/09/2020-बीओसीडब्ल्यू दिनांक 14 जुलाई 2020

[56] रांची: (1) पंजीकरण संख्या- आरएनxxx/ एसओएन /2016 (2) आरएनx15/टीएमआर/2017 (3) आरएनx46/एसओएन/2017 और धनबाद: (4) सीओडब्ल्यू17M000xxx3548

[57] धनबाद: जीओवी-6x1/13

[58] धनबाद: सीओडब्ल्यू 17एम000xxx3548

[59] रांची: आरxx43/एसओएन /2016 और (2) आरxxx46/एसओएनxxx17

(₹ 1,000 प्रति माह) पर और एक मामले[60] में, सात महीने (अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017) के लिए भुगतान नहीं किया गया था।

- रांची जिले में अभिज्ञात चार मामलों में से तीन [61] मामलों में ₹ 30,000 की अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2023) कि पेंशन का लाभ उठाने के लिए आवेदन नहीं करने वाले बड़ी संख्या में कर्मकारों के मुद्दे की जाँच करने के लिए एक समिति के गठन हेतु बोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जाएगा और पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मुद्दे को हल करने की विधि की जाँच की जाएगी।

5.3 मातृत्व लाभ

झारखण्ड नियमावली में पंजीकृत महिला लाभार्थियों को ₹ 1,500 की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का प्रावधान है, जिसे प्रत्येक पहले दो बच्चों के लिए, मातृत्व की अवधि के दौरान भुगतान किया जाएगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना था। भुगतान की जाने वाली राशि को पहली बार मार्च 2011 में, छह सप्ताह के लिए अकुशल श्रमिकों की मजदूरी के बराबर राशि के लिए संशोधित किया गया, और फिर संशोधित (अप्रैल 2018) करके ₹ 15,000 कर दिया गया। ऐसे मामलों में श्रम अधीक्षक संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी थे।

नमुना-जाँचित चार जिलों में, 6,042 लाभार्थियों[62] को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मातृत्व लाभ प्रदान किया गया था। 200 आवेदनों (नमुना-जाँचित प्रत्येक जिले से 50) की लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये:

- एक लाभार्थी[63] को क्रमशः मई 2021 और मार्च 2022 में दो बच्चों के लिए ₹ 30,000 के मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया था। पहले बच्चे के संबंध में आवेदन को सीनियर रेजिडेंट (स्त्री रोग और प्रसूति विभाग), पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, धनबाद द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसकी जन्म तिथि 27.09.2020 थी। दूसरे बच्चे के संबंध में आवेदन को चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टुंडी, धनबाद द्वारा जन्म तिथि का उल्लेख किए बिना प्रमाणित किया गया था। हालांकि, आवेदन के साथ संलग्न जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, दूसरे बच्चे की जन्म तिथि 30.01.2021 थी। इस प्रकार, दोनों बच्चों के बीच जन्म की तिथियों में अंतर केवल चार महीने था। इसी तरह, एक अन्य लाभार्थी[64] को दो बच्चों के लिए ₹ 30,000 प्रदान किया गया था ,जिसमें दो बच्चों के प्रसव की तिथियों के बीच केवल चार महीने[65]

---

[60] रांची: आरएनxx5/टीएमआर2017

[61] रांची: आरएनxx3/ एसओएन 2016, आरxx15/ टीएमआर 2017, और आरएनxx6 एसओएन 2017

[62] रांची: 868, धनबाद: 1,901, बोकारो: 1,657 और पूर्वी सिंहभूम: 1,616

[63] धनबाद: पंजीकरण संख्या-टीयूएन -2xx1/19

[64] बोकारो: पंजीकरण संख्या-1016

[65] जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 04.09.2020 और 02.01.2021

का अंतर था। इस प्रकार, लाभों के अनियमित भुगतान से इंकार नहीं किया जा सकता है।

➢ दस लाभार्थियों को एक ही बच्चे के लिए दो बार ₹ 1.50 लाख (₹ 15,000 प्रत्येक) के मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया था। बीस लाभार्थियों को जन्म के समय लागू दरों पर भुगतान करने के बजाय बाद की तारीखों में संशोधित दरों पर भुगतान के कारण ₹ 1.34 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। इस प्रकार, 30 लाभार्थियों को उनकी हकदारी के अतिरिक्त ₹ 2.84 लाख **(परिशिष्ट 5.3)** का भुगतान किया गया था।

➢ दूसरी ओर, पूर्व-संशोधित दरों पर भुगतान के कारण पांच लाभार्थियों[66] को ₹ 22,000 कम भुगतान किया गया था।

➢ पांच लाभार्थियों[67] को झारखण्ड नियमावली के नियम 281 के तहत आवश्यक अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किसी भी चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किए बिना ₹ 48,000 का भुगतान किया गया था।

➢ श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बलियापुर, धनबाद के प्रतिवेदन के अनुसार, 01.08.2019 को पंजीकृत एक लाभार्थी[68] को पंजीकरण की तारीख से पहले 09.11.2018 को पैदा हुए बच्चे के लिए ₹ 15,000 का भुगतान (मार्च 2021) किया गया था। हालांकि, 22.01.2019 को निर्गत किए गए जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 09.11.2019 बताई गई थी, जिसका उल्लेख आवेदन में भी किया गया था। इस प्रकार, विरोधाभासी प्रतिवेदनों और दस्तावेजों के आधार पर लाभ का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, ₹ 0.93 लाख[69] के लाभ का भुगतान संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर अथवा अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त किए बिना किया गया था और इसलिए इस राशि के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, हकदारी से अधिक ₹ 2.84 लाख का भुगतान किया गया था।

5.4 कर्मकारों के बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 22 (1) (ई) लाभार्थियों के बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बोर्ड ने इस संबंध में अध्ययन की विभिन्न श्रेणियों के लिए मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना (मेधावी बाल छात्रवृत्ति योजना) नामक एक योजना तैयार की थी (मार्च, 2011)।

---

[66] (i) सीओडब्ल्यू 17एफ0xx3xx3643 (ii) सीओडब्ल्यू 17एफ00xxxx3640 (iii) आरएन-2xxx4/ एसआईएल (iv) आरएन-8x3/ एसआईएल (v) आरएन-2xx/ एसआईएल

[67] आरएन-xx3/टीएमआर, आरएन-5xx/बीयूएन, आरएन-xx8/ एसओएन, आरएन-6xx/ टीएमआर और आरएन-xx7/ टीएमआर

[68] धनबाद: पंजीकरण संख्या-बीआईपी-7x8x-019

[69] (₹ 0.15 लाख + ₹ 0.15 लाख + ₹ 0.48 लाख + ₹ 0.15 लाख)

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित जिलों में पाया कि, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, कुल 35,943 बच्चों[70] को पढ़ाई के लिए कुल ₹ 20.80 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई थी। 3,123 बच्चों[71] के संबंध में स्वीकृत[72] आवेदनों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान उन्हें ₹ 1.89 करोड़ वितरित किए गए थे, जिनमें से केवल 16 बच्चों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 3.20 लाख की छात्रवृत्ति मिली थी और चार बच्चों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए दो लाख रुपये की छात्रवृत्ति मिली थी। शेष बच्चों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को छोड़कर, स्नातक स्तर तक अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी।

इस प्रकार, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का आच्छादन न्यूनतम था।

5.5 अन्य कल्याणकारी योजनाएं

मृत्यु/नि:शक्तता सहायता, पेंशन/परिवारिक पेंशन, मातृत्व लाभ और छात्रवृत्ति योजना के अलावा, जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में बताया गया है, तीन[73] अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

5.5.1 अधिक/अपात्र भुगतान

बीओसीडब्ल्यू नियमों के अनुसार, एक पंजीकृत कर्मकार अगस्त 2017 से, कार्य संबंधित टूल-किट की खरीद के लिए पात्र है, टूल-किट खरीदने के पश्चात क्रय रसीद जमा करने पर कर्मकार को ₹ 2,500 की अनुग्रह राशि देय थी। दिसंबर 2021 से राशि को संशोधित कर ₹ 3,000 कर दिया गया था। इसके अलावा, कर्मकार सुरक्षा-किट (हेलमेट, जूते आदि) खरीदने के भी पात्र हैं, जिसके लिए अप्रैल 2016 से ₹ 1,000 की अनुग्रह राशि देय थी।

लेखापरीक्षा द्वारा चार नमूना-जाँचित जिलों में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान क्रमशः 51,673 और 77,438 लाभार्थियों को टूल-किट और सुरक्षा-किट खरीदने के लिए सहायता राशि का भुगतान किया गया था। टूल-किट और सुरक्षा-किट (नमूना-जाँचित जिलों में से प्रत्येक से 100 आवेदन) के 400 आवेदनों की नमूना-जाँच में यह पाया गया कि:

- नमूना-जाँचित जिलों में 400 लाभार्थियों में से 77 (19 प्रतिशत) लाभार्थियों को सुरक्षा-किट के लिए सहायता प्रदान की गई थी। इनमें से 68 लाभार्थियो को दो बार सुरक्षा किटों के लिए सहायता प्रदान की गई जिससे ₹ 68,000 का अमान्य भुगतान

[70] रांची में 2,834, धनबाद में 15,437, बोकारो में 10,088 और पूर्वी सिंहभूम में 7,584 मामले सामने आए हैं.

[71] 20 स्वीकृति पत्रों के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की,

[72] 20 स्वीकृति पत्रों के माध्यम से वितरित

[73] (1) श्रम टूलकिट योजना; (2) साइकिल सहायता योजना; और (3) सन्निर्माण कर्मकार सुरक्षा किट सहायता योजना।

किया गया। इसके अलावा, 68 लाभार्थियों में से 59 ने एक ही प्रखण्ड से और नौ ने विभिन्न प्रखण्डों से लाभ उठाया।

उपरोक्त 68 लाभार्थियों के अलावा, नौ अपात्र लाभार्थियों को ₹ 9,000 की सहायता का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभ प्राप्त करते समय एक लाभार्थी[74] की आयु साठ वर्ष से अधिक होने के बावजूद, चार लाभार्थी[75], जिनकी आयु पंजीकरण के समय 60 वर्ष से अधिक थी और चार लाभार्थी[76], जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी, सहायता का भुगतान किया गया था। हालांकि वे इसके लिए पात्र नहीं थे।

➢ इसके अलावा, श्रम उपकरण किट सहायता योजना के लिए नमूना-जाँचित 400 आवेदनों में से लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ लाभार्थियों को टूल-किट खरीदने के लिए ₹ 9,000 की टूल-किट सहायता प्रदान की गई थी। इनमें से छः लाभाथयों[77] को लाभ के लिए दो बार ₹ 15,000 की सहायता प्रदान की गई थी, दो लाभार्थी[78], जिनकी आयु लाभ प्राप्त करते समय साठ वर्ष से अधिक थी, ₹ 5,000 और एक लाभार्थी[79], जिसकी आयु पंजीकरण के समय 60 वर्ष से अधिक थी, ₹ 2,500 की सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार, तीन अपात्र लाभार्थियो को ₹ 7,500 और छः लाभार्थियों को ₹ 15,000 की सहायता का भुगतान किया गया, जो उनकी पात्रता से अधिक था।

इस प्रकार, 74 लाभार्थियों को उनकी पात्रता से अधिक ₹ 83,000 का लाभ प्रदान किया गया। साथ ही, 12 अपात्र लाभार्थियों को ₹ 16,500 की सहायता का भुगतान भी किया गया।

5.5.2 साइकिल सहायता योजना (बीएएस)

बोर्ड ने साइकिलों की खरीद के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु की महिला पंजीकृत कर्मकारों और सभी आयु वर्ग के सभी पुरुष पंजीकृत कर्मकारों को ₹ 3,500 का भुगतान करने का निर्णय लिया (जनवरी 2015)। लाभार्थियों द्वारा उक्त नकद लाभ की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर क्रय रसीद सौंपा जाना आवश्यक था। इस समयावधि को बाद में संशोधित (अप्रैल 2018) कर तीन महीने कर दिया गया, भुगतान की दर को भी संशोधित (दिसंबर 2021) कर ₹ 5,000 कर दिया गया।

---

[74] रांची: आरएन(एसडीआर) 0xx1246

[75] (1) पंजीकरण संख्या-सीओडब्ल्यूxxएम001xxx3576 (2) सीओडब्ल्यू17एफ000xxx3571 (3) सीओडब्ल्यू19एम00xxxx3574 और (4) सीओडब्ल्यू17एफxx03xx3571

[76] (1) पंजीकरण संख्या- सीओडब्ल्यू20एमxx016xx573 (2) सीओडब्ल्यू20एमxx04xx3579 (3) सीओडब्ल्यू17एमxx00xx3574 और (4 सीओडब्ल्यू2xx00xx33xx73

[77] बोकारो: (1) पंजीकरण संख्या-4xx5 (2) 2xx4 (3) 3xx4 और पूर्वी सिंहभूम: (4) 38x1 (5) 4xx4 और (6) 3xx3

[78] पंजीकरण संख्या: सीओडब्ल्यू17एफxx19xx3649 और सीओडब्ल्यू 17एमxx102xx6x0

[79] सीओडब्ल्यू 20एम0004x2x579

लेखापरीक्षा ने चार नमूना-जाँचित जिलों में पाया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 15,854 लाभार्थियों[80] को साइकिल की खरीद के लिए नकद लाभ का भुगतान किया गया। 200 आवेदनों (प्रत्येक नमूना-जाँचित जिलों से 50) की नमूना-जाँच से पता चला कि:

- 200 लाभार्थियों को दिसंबर 2018 और मई 2020 के बीच कुल ₹ 7 लाख का भुगतान किया गया। हालांकि, उनमें से किसी ने भी मार्च 2022 तक क्रय रसीदें जमा नहीं किया।

- 200 लाभार्थियों में से स्वीकृति की तारीख को 45 वर्ष से अधिक आयु की 14 महिला कर्मकारों को ₹ 49,000 का भुगतान किया गया था और एक पुरुष कर्मकार को स्वीकृति की तारीख को 60 वर्ष से अधिक आयु के होने के बावजूद ₹ 3,500 का भुगतान किया गया था (**परिशिष्ट 5.4**)।

इस प्रकार, ₹ 7 लाख की राशि के लाभ का भुगतान, आवश्यक क्रय रसीद से समर्थित नहीं था। इसमें 15 अपात्र लाभार्थी भी शामिल थे, जिन्हें ₹ 0.53 लाख का भुगतान किया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2023) कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के सचिव ने राज्य के सभी संस्वीकृतिदाता अधिकारियों को निर्देश निर्गत किए हैं कि वे प्रत्येक योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के संबंध में आवेदनों की गहन जाँच के बाद ही सभी प्रकार के लाभों के भुगतान की अनुमति दें। इसके अतिरिक्त, संस्वीकृति प्राधिकारियों को अपात्र भुगतानों के मामलों की जाँच करने और उन पर उपयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, साइकिल सहायता योजना के लिए अपात्र लाभार्थियों को भुगतान किए गए ₹ 3,500 की वसुली कर ली गयी है।

5.6 लाभार्थियों के आच्छादन में कमी

बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष आच्छादित लाभार्थियो की संख्या के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए थे। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 10 कल्याणकारी योजनाओं[81] के तहत लक्ष्यों और लाभार्थियों के आच्छादन का विवरण **चार्ट 5.1** में दिखाया गया है।

---

[80] धनबाद: 5,905, पूर्वी सिंहभूम: 5,514, बोकारो: 2,290 और रांची: 2,145

[81] जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को लक्ष्य प्रदान किए गए थे।

चार्ट 5.1: लक्ष्य और उपलब्धियां

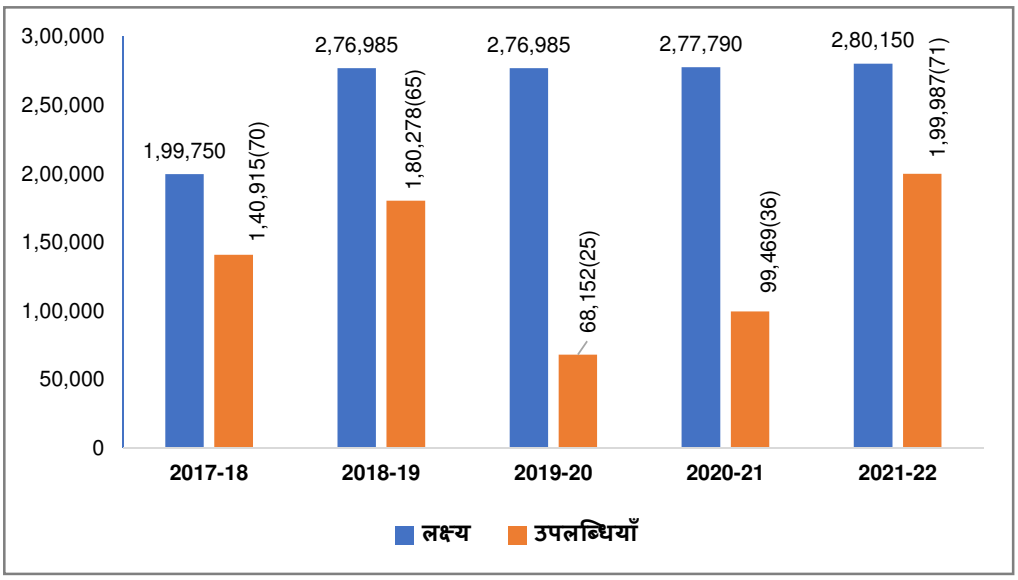

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े। कोष्ठक में आंकड़े उपलब्धि के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करते है)

चार्ट 5.1 से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान उपलब्धियां 25 से 71 प्रतिशत के बीच रही। यह उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 65 प्रतिशत से भारी गिरावट के साथ घटकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 25 प्रतिशत रह गई। श्रम एवं रोजगार विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर सभी पात्र सन्निर्माण कर्मकार को उपकर निधि का बेहतर उपयोग करते हुए लाभ प्रदान करने के निर्देश (जून 2020) के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्धि केवल 36 प्रतिशत रही।

आगे लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि श्रम अधीक्षकों (एलएस) ने एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ की राशि के अंतरण के लिए लाभार्थियों की सूची के साथ बैंकों को चेक जारी किए थे। तथापि, बैंक खातों (एलएस द्वारा संचालित) के विवरणों की जाँच से पता चला कि तीन[82] नमूना-जाँचित जिलों (रांची को छोड़कर) में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 2,268 लाभार्थियों[83] से संबंधित ₹ 163.61 लाख[84] का रिवर्स क्रेडिट[85] हुआ था। संबंधित संस्वीकृति प्राधिकारियों ने अपनी रोकड़ बही में इन अभुगतेय राशि को प्राप्ति के रूप में दर्ज किया है।

आगे श्रम अधीक्षक, बोकारो की रोकड़ बही की जाँच से पता चला कि विभिन्न योजनाओं[86] से संबंधित ₹ 17.20 लाख के तीन लेनदेन (29.11.2017 और 26.05.2021) की राशि

---

82 धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम

83 धनबाद-570, बोकारो-86 और पूर्वी सिंहभूम-1,612

84 एलएस, धनबाद: ₹ 38.82 लाख, एलएस, बोकारो: ₹ 48.31 लाख और डीएलसी, बोकारो: ₹ 29.03 लाख, एलएस, पूर्वी सिंहभूम: ₹ 28.52 लाख, डीएलसी, पूर्वी सिंहभूम: ₹ 18.93 लाख

85 लाभार्थियों के बैंक ब्यौरे में त्रुटियों के कारण राशि को बैंक द्वारा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करने के बजाय संस्वीकृति अधिकारियों के खाते में वापस लौटा दिया जाता है।

86 टूल किट: ₹ 8.88 लाख, साइकिल: ₹ 3.22 लाख, सिलाई मशीन: ₹ 5.10 लाख

को वापसी के तौर पर दर्ज किया गया जो गलत बैंक खातों, गलत आईएफएससी कोड और अन्य कारणों से अंतरित नहीं किया जा सका। तथापि, अधिकांश मामलों में, असफल लेनदेन का कारण एवं प्रासंगिक योजनाएं के ब्यौरे रोकड़ बही में उल्लिखित नहीं पाए गए। लाभों का अंतरण न किए जाने के बावजूद, संबंधित श्रम अधीक्षक ने भविष्य में पुनःभुगतान सुनिश्चित करने के लिए वंचित लाभार्थियों के विवरण का आकलन नहीं किया।

अत: बोर्ड ने उन लाभार्थियों को लाभ का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया, जिनके बैंक खातों में लाभ अंतरित नहीं किए जा सकता था।